कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 6466/2020 रेणुबाला मिढ़ढ़ा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.10.2020 में अप्रार्थीगण को याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को निष्पक्ष रूप से सहानुभूतिपूर्वक कन्सीडर कर निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थिया द्वारा अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि राज्य सरकार के आदेश द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीकरणपुर, जिला–श्रीगंगानगर को राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में परिवर्तित करने के उपरान्त उक्त विद्यालय हेतु वॉक–इन–इन्टरव्यू द्वारा चयनित श्रीमती सन्दीप कौर, वरिष्ठ अध्यापक (हिन्दी) को पदस्थापित करने के फलस्वरूप वरिष्ठ अध्यापक (हिन्दी) के पद पर अधिशेष याचिकार्थिया को संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 25 एफ गुलाबेवाला, जिला–श्रीगंगानगर में पदस्थापित किया गया, जिसकी पालना में दिनांक 24.07.2020 को याचिकार्थिया को कार्यमुक्त किया गया। परन्तु याचिकार्थिया के कथनानुसार स्वास्थ्य खराब होने के कारण दिनांक 22.07.2020 से वह अवकाश पर थी। याचिकार्थिया के कथनानुसार श्रीमती सन्दीप कौर, वरिष्ठ अध्यापक (हिन्दी) को रिशफल संभाग आवंटन द्वारा बीकानेर मण्डल से कोटा मण्डल आवंटित होने के कारण उनके द्वारा राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) श्रीकरणपुर, जिला–श्रीगंगानगर मे कार्यग्रहण नहीं करने के कारण विभाग द्वारा पुनः वॉक–इन–इन्टरव्यू द्वारा श्रीमती पूनम बंसल, वरिष्ठ अध्यापक (हिन्दी) का चयन उक्त विद्यालय में किया गया, परन्तु न्यायालय प्रकरण की वजह से उनके द्वारा भी कार्यग्रहण नहीं किया गया। वर्तमान में राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) श्रीकरणपुर, जिला–श्रीगंगानगर मे वरिष्ठ अध्यापक (हिन्दी) का पद रिक्त है तथा याचिकार्थिया के पदस्थापित विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 25 एफ गुलाबेवाला, जिला–श्रीगंगानगर में संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर द्वारा नव चयनित वरिष्ठ अध्यापक राधा कुमारी को पदस्थापित कर दिया गया है। अतः याचिकार्थिया ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर खराब स्वास्थ्य व अन्य परिस्थितियों के आधार पर राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) श्रीकरणपुर, जिला–श्रीगंगानगर में रिक्त पद पर पदस्थापित करने की मांग की है।

याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.10.2020 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक द्वारा वर्णित परिस्थितियो के आधार पर कार्मिक के पक्ष में स्थानान्तरण का अधिकार सृजित नहीं होता है। कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था, राज्यहित, लोकहित व छात्र हितों को ध्यान में रख कर ही स्थानान्तरण किए जाते हैं। याचिकार्थिया द्वारा अभ्यावेदन में खराब स्वास्थ्य व अन्य परिस्थितियों के आधार पर इच्छित स्थान पर पदस्थापन हेतु की जा रही मांग तर्कसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं है।

अतः याचिकार्थिया द्वारा राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) श्रीकरणपुर, जिला–श्रीगंगानगर में वरिष्ठ अध्यापक (हिन्दी) के रिक्त पद पर पदस्थापित करने हेतु की जा रही मांग उपर्युक्त वस्तुस्थिति एवं विभागीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं पाई गई है। मांग उचित नहीं पाए जाने के कारण इस मांग को अस्वीकृत की जाकर याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाता है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–मा./संस्था/एफ–2/को.के./जोध/12982/2020 दिनाकः– 16.10.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा को सूचनार्थ।
2. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जोधपुर
4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर
5. याचिकार्थिया रेणुबाला मिढ़ढ़ा पत्नी श्री गौतम मिढ़ढ़ा, R/o 47–सी ब्लॉक, वार्ड नं. 14, श्री करणपुर जिला–श्रीगंगानगर (रजिस्टर्ड)
6. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)